

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

द/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
45/20	212 RTA	आं चौली	६७३।
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मुन्नी	बनाम	अमीर हुसैन	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

4<sup>12</sup>/<sub>20</sub>

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा मां पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगणों के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट करिस्ता का अवलोकन किया प्रमाण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों के जरिये समन तलब कर पत्रावली दिनांक 23/12/20 को पेश हो।

*MA*  
23/12/20

23<sup>12</sup>/<sub>20</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रतिवादी क्रम 9, 10, 11, 13, 14 व 16 के वाद तामील समन प्राप्त। वेबजूस सूचना के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी 1 ता 8 एवं 12, 15, और 17 को तलबी हेतु तलबना सही पते को पेश करें। करते तलबी। तलबना पत्रावली दिनांक 23/12/20 को पेश हो।

23/12/20

पत्रावली पेश हुई। कुलार्थ उपस्थित। मूलवाद को निस्तारण हो चुका है। प्रमाण कोई कार्यवाही आगे नहीं जाते है। प्रमाण में कार्यवाही इसी स्तर पर होप की जाती है पत्रावली फेब्रुअल सुमार होकर उपस्थित दफ्तर हो।